



2026:AHC-LKO:21754

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1645 सन 2026

आंगनू

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता	:	अम्ब्रिश त्रिपाठी
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता, कमलेश कुमार सिंह, नितिन कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन कुमार मिश्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

यह आवेदक की ओर से दायर किया गया पहला जमानत आवेदन है, जो गोंडा जिले के मनकापुर पुलिस स्टेशन में अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352 और 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 437 / 2025 में शामिल है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रवीण सिंह को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। उन्होंने बताया कि शेष तीन घायलों को मामूली चोटें आई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की ओर से प्रति प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई हैं और इस घटना में चार लोग घायल हुए हैं। अभियोजन पक्ष ने आरोपी पक्ष को आई चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी अंकित उर्फ अंचित और महेंद्र तथा खुशी राम को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.2.2026 और 19.3.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 813/2026 और 1709/2026 में पारित आदेशों के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक उक्त सह-आरोपियों के जमानत आदेश के समान जमानत की मांग करता है।

आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 8.12.2025 से जेल में है। आवेदक के जेल से रिहा होने के बाद भाग जाने या अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। वह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के साथ-साथ शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के बाद, तथा इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रवीण सिंह सहित घायल व्यक्तियों के बयानों से, जिन्हें माथे में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है, यह स्पष्ट होता है कि उनके सिर पर चोट पहुंचाने की विशिष्ट भूमिका सह-आरोपी पंडित उर्फ दया शंकर को सौंपी गई है; प्रथम दृष्टया, चारों घायल व्यक्तियों के बयानों से, वर्तमान आवेदक को कुल्हाड़ी से गंभीर चोट पहुंचाने की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और आरोप सामान्य प्रकृति का प्रतीत होता है; उपरोक्त नामित सह-आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है; आवेदक 8.12.2025 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा मामले के गुण-दोषों में प्रवेश किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक को जमानत पर रिहा करने का यह एक उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तदनुसार, जमानत आवेदन को *अनुमति* दी जाती है

उपरोक्त मामले में आवेदक आंगनू को मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक जमानती की राशि मजिस्ट्रेट / न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के साथ न्याय के हित में जमानत पर रिहा किया जाए:

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा।
- (iii) आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, परीक्षण न्यायालय / संबंधित न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की खूबियों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[न्यायमूर्ति राजीव भारती]

मार्च 26, 2026

श्रवण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।